भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की चमड़ा, फुटवेयर और सहायक क्षेत्र उप-योजना में अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन के लिए दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

बजट भाषण 2017-18 में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि 'कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए पहले ही विशेष योजना शुरु की जा चुकी है। चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए भी ऐसी ही योजना लागू की जाएगी।'

संगठित क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकरण कराने वाले सभी नए कर्मचारियों को उनके रोजगार के पहले तीन वर्षों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के 8.33% अंशदान का भुगतान कर रही है जो 15,000 रुपए तक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लागू है। सरकार द्वारा 8.33% ईपीएस अंशदान वहन करने के अलावा, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) चमड़ा, फुटवेयर और सहायक क्षेत्र के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कर्मचारियों के लिए 3.67% अतिरिक्त अंशदान उपलब्ध कराएगा जैसा कि पीएमआरपीवाई में उल्लेख किया गया है।

2. उद्देश्य

नए रोजगार के सृजन के लिए चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र हेतु अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन (एईआईएलएफए) योजना तैयार की गई है जिसके तहत डीआईपीपी सरकार द्वारा पीएमआरपीवाई के अंतर्गत दिए जा रहे कर्मचारी के 8.33% ईपीएस अंशदान के अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफ में 3.67% का अतिरिक्त भुगतान करेगा। इस योजना के दो लाभ हैं, पहला, नियोक्ता को प्रतिष्ठान में औपचारिक कामगारों का रोजगार आधार बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और दूसरा, इससे श्रमिकों के लिए नई नौकरियों का सृजन होगा। इन कामगारों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुंच प्राप्त होगी।

3. परिभाषा

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, खंड 2 और पीएमआरपीवाई में दी गई परिभाषाएं यथोचित परिवर्तन के साथ एईआईएलएफए पर भी लागू होंगी।

4. पात्रता मानदंड

4.1 पीएमआरपीवाई में उल्लिखित शर्तें एईआईएलएफए के लिए पात्रता शर्तें होंगी अर्थात् पीएमआरपीवाई के लिए पात्र नियोक्ता ही चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र के लिए एईआईएलएफए के तहत अतिरिक्त लाभ के पात्र होंगे। चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र के मामले में, नियोक्ता ईपीएफओ से अपने ईपीएफ अंशदान का अतिरिक्त 3.67% प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे जैसा कि पीएमआरपीवाई ऑनलाइन प्रपत्र में

उल्लिखित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड के अंतर्गत आने वाले चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में विनिर्माण में संलग्न प्रतिष्ठान भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं:

समूह	वर्ग	उप-वर्ग	विवरण
141			परिधान का विनिर्माण
	1410		फर के परिधान के अलावा परिधान का विनिर्माण
		14104	चमड़े और चमड़े के प्रतिस्थापक से बने परिधान का विनिर्माण
142			फर से बनी वस्तुओं का विनिर्माण
	1420		फर से बनी वस्तुओं का विनिर्माण
		14201	फर से बने परिधान और सहायक वस्तुओं का विनिर्माण
		14202	फर और खाल से बने कालीन तथा ऐसी ही वस्तुओं का विनिर्माण
		14209	फर से बने अन्य उत्पादों का विनिर्माण एन.ई.सी.
151			चमड़े का शोधन और ड्रेसिंग; लगेज, हैंडबैग, जीनसाजी और साज का विनिर्माण; फर की ड्रेसिंग और रंगाई
	1511		चमड़े का शोधन और ड्रेसिंग; फर की ड्रेसिंग और रंगाई
		15111	कच्चा चमड़ा और खाल उतारना और संसाधन
		15112	सोल चमड़े का शोधन और तैयार करना
		15113	औद्योगिक चमड़े का शोधन और तैयार करना
		15114	फर की खाल और बाल सहित चमड़े की स्क्रैपिंग, क्योरिंग, शोधन, ब्लीचिंग, काटना और निकालना तथा रंगाई
		15115	अपर लेदर, लाइनिंग लेदर और गार्मेंट लेदर आदि को अंतिम रूप देना
		15116	चमड़े की वस्तुओं पर कढ़ाई करना और आकृतियां बनाना
		15119	चमड़े का अन्य शोधन, क्योरिंग, आकृतियों को अंतिम रूप देना
	1512		लगेज, हैंडबैग और ऐसे ही सामान, जीनसाजी तथा साज का विनिर्माण
		15121	सूटकेस, बैग, होल्डल्स आदि जैसी यात्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विनिर्माण

		15122	पर्स, महिलाओं के हैंडबैग, चमड़े की कलात्मक वस्तुओं और सस्ते सामान का विनिर्माण
		15123	जीनसाजी और साज का विनिर्माण
		15129	चमड़े और चमड़े के प्रतिस्थापकों की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का विनिर्माण एन.ई.सी.
152			फुटवेयर का विनिर्माण
	1520		फुटवेयर का विनिर्माण
		15201	चमड़े के फुटवेयर जैसे जूते, सेंडल, चप्पल, चमड़ा-सह-रबड़/प्लास्टिक क्लॉथ सेंडल तथा चप्पलों का विनिर्माण
		15202	मुख्यत: वल्केनाइज्ड अथवा मॉड्यूल रबड़ और प्लास्टिक से बने फुटवेयर का विनिर्माण
		15209	अन्य फुटवेयर का विनिर्माण एन.ई.सी.

5. कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र

5.1 यह योजना 1 अप्रैल, 2017 अर्थात् एईआईएलएफए योजना के लागू होने के दिन से प्रभावी मानी जाएगी। यह 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रचालन में रहेगी।

5.2 फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करके ऑनलाइन आवेदन इकट्ठा करेगा, सत्यापित करेगा और उन्हें मान्यता देगा तथा फाइल/सूची पीएमआरपीवाई पोर्टल पर अपलोड करेगा।

5.3 पीएफ से छूट पाने वाले प्रतिष्ठानों से प्राप्त दावों का एफडीडीआई द्वारा 100% सत्यापन किया जाएगा।

5.4 ईपीएफओ के साथ विचार-विमर्श करके ऑनलाइन लाभ अंतरण प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

5.5 ईपीएफओ द्वारा विकसित डैशबोर्ड के अनुसार एफडीडीआई द्वारा राजसहायता के संवितरण की नियमित रूप से निगरानी और जांच की जाएगी।

5.6 ऑनलाइन पोर्टल का विकास करने, पीएमआरपीवाई पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करने और निगरानी और पुष्टिकर्ता एजेंसी के रूप में एफडीडीआई की सेवाओं के लिए उसे निम्नानुसार 3 किस्तों में 50 लाख रुपए का एकमुश्त समेकित भुगतान किया जाएगा:

क) पहली किस्त: उप-योजना के अनुमोदन पर पोर्टल के विकास और पहले वर्ष में योजना के कार्यान्वयन पर अग्रिम के रूप में 40% सहायता।

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त के पूर्ण उपयोग का प्रमाण-पत्र तथा दूसरे वर्ष में योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पूरा होने पर 30% सहायता।

ग) तीसरी और अंतिम किस्त: पिछली किस्तों के पूर्ण इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा तीसरे वर्ष में परियोजना के सफल कार्यान्वयन पर प्रतिपूर्ति आधार पर 30% सहायता।

5.7 श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एफडीडीआई और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस योजना का कार्यान्वयन करेंगे तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली और ऐसी अन्य विश्लेषणात्मक रिपोर्टें डीआईपीपी को उपलब्ध कराएंगे जो योजना की प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यक हैं।

*****